





सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No. 91-1/2024 (SU-1)

21st March 2025/ 30 फाल्गुन 1946

Subject: Categorisation of the University under UGC [Categorisation of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

प्रिय महोदय/ महोदया,

As you are aware, UGC is mandated to determine, promote and maintain the standards of higher education in the country. UGC is constantly striving to create an enabling environment whereby higher education institutions in the country can become institutions of global excellence. UGC is also aware that global excellence can be achieved by extending autonomy to better-performing institutions for promoting and institutionalizing excellence in higher education.

In order to grant autonomy to the better-performing institutions, UGC has notified UGC [Categorisation of Universities (only) for grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018 on 12th February 2018 in the Gazette of India.

Under the above Regulations, the proposal received from **Mahatma Gandhi University**, **Kottayam**, **Kerala** has been examined, processed and considered by the Commission in its 588th Commission meeting held on 13th March 2025. The Commission has decided to grade **Mahatma Gandhi University**, **Kottayam**, **Kerala as a Category-I University** as per the above Regulations. The University shall now be eligible for all the benefits as stipulated under Clause 4, i.e., Dimensions of Autonomy for Category-I Universities, of these Regulations.

However, the University shall inform the Commission about the benefits being implemented and its changed status, as applicable, in accordance with Regulation 6 of the UGC [Categorisation of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)

The Vice Chancellor Mahatma Gandhi University Kottayam Kerala



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

अर्द्ध शा. पत्र. 91-1/2024 (एसयू-1)

दिनांक: 21st March 2025/ 30 फाल्गुन 1946

विषय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का श्रेणीकरण।

प्रिय महोदय/ महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण, प्रोन्नयन और अक्षुण्णता का अधिदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सुसंगत वातावरण सृजित करने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि देश में उच्चतर शिक्षा संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात से भी अवगत है कि उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और उसके संस्थानीकरण के लिए बेहतर-प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करके वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्नत-प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु भारत के राजपत्र में 12 फरवरी 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018 अधिसूचित किया है।

उपरोक्त विनियमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 मार्च 2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल से प्राप्त प्रस्ताव की संवीक्षा, अग्रगमन और विचार किया गया है। आयोग ने उपरोक्त विनियमों के अनुसार महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल को श्रेणी-। विश्वविद्यालय का स्तर की स्वायत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अब इन विनियमों के खंड 4, अर्थात श्रेणी-। विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता के आयाम के अंतर्गत निर्धारित सभी हितलाभों के लिए पात्र होगा।

तथापि, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018 के विनियम 6 के अनुसार लागू किए जा रहे हितलाभों और अपनी परिवर्तित स्थिति के बारे में सूचित करेगा।

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

कुलपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरल